

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

-----  
अधिसूचना

सं. 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 1018 (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उपधारा (2), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2), सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 (एतश्मिन् पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 क और धारा 94 की उपधारा (2), के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 110/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 नवंबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 861(अ), दिनांक 16 नवंबर, 2015, के तहत प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, और ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई अथवा विलोपित की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एतश्मिन् संलग्न अनुसूची (एतश्मिन् पश्चात जिसे उक्त अनुसूची कहा गया है) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दरों का, निम्नलिखित नोट और शर्तों के अधीन रखते हुए, निर्धारण करती है, यथा:-

**नोट एवं शर्तें :**

- (1) उक्त अनुसूची में टैरिफ मदों और माल के वर्णन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में केवल चार अंकीय स्तर पर ही टैरिफ मदों और माल के वर्णन के अनुरूप किया गया है। छह अंकों अथवा आठ अंकों अथवा संशोधित छह अथवा आठ अंकों पर दिए गए माल के वर्णन को अनेक मामलों में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में दिए गए माल के वर्णन के अनुरूप नहीं किया गया है।
- (2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या हेतु सामान्य नियम, यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए निर्यात माल के वर्गीकरण हेतु लागू होंगे।
- (3) उक्त अनुसूची में किसी भी बात के होते हुए भी,-
  - (i) सभी कलात्मक अथवा हस्तशिल्प मदें, कलात्मक अथवा हस्तशिल्प (घटक सामग्री के) शीर्ष जैसा कि संगत अध्यायों में उल्लेख किया गया है, के तहत वर्गीकृत होंगे।
  - (ii) पहचाने जाने वाले उपयोग के लिए तैयार मशीन से बना हिस्सा/संघटक जो मुख्य तौर पर लोहे, इस्पात अथवा अल्युमिनियम से गढ़ाई अथवा ढलाई प्रक्रिया के जरिए तैयार हैं और जो छः अंकीय स्तर अथवा अधिक के स्तर पर अध्याय 84 अथवा 85 अथवा 87 में विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, को शीर्ष 8487 या 8548 अथवा 8708 जैसा मामला हो, के अंतर्गत संबंधित टैरिफ मद के अंतर्गत (सामग्री संरचना और तैयार करने की प्रक्रिया पर आधारित) वर्गीकृत किया जा सकता है, चाहे ऐसे हिस्से अथवा संघटक का वर्गीकरण उक्त अनुसूची के अध्याय 84 अथवा 85 अथवा 87 में चार अंकीय स्तर पर हुआ हो।
  - (iii) शीर्ष 4203 अथवा 6116 अथवा 6216 के नीचे उल्लिखित स्पोर्ट्स दस्तानों को उसी शीर्ष में वर्गीकृत किया जायेगा और अन्य सभी स्पोर्ट्स दस्तानों को शीर्ष 9506 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा
- (4) उक्त अनुसूची में कॉलम (4) और (6) में दर्शाए गए आंकड़े प्रतिअदायगी की दर से संबंधित हैं जिन्हें पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रतिशत अथवा निर्यात माल की प्रति इकाई मात्रा की दर के रूप में, जैसा भी मामला हो, अभिव्यक्त किया गया है।
- (5) उक्त अनुसूची में कॉलम (5) और (7) में दर्शाए गए आंकड़े प्रतिअदायगी की उस अधिकतम राशि को दर्शाते हैं जिसका कॉलम (3) में निर्दिष्ट प्रति इकाई पर लाभ उठाया जा सकता है।
- (6) परियोजना निर्यात (जिसमें टर्नकी निर्यात अथवा आपूर्ति शामिल है) के अंतर्गत निर्यात उत्पाद जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के निर्यात की निकासी के आवेदन (एआरई-1) के साथ आता है और जिसके लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (5) और (7) में कोई आंकड़े

नहीं दर्शाये गए हैं, की घोषणा निर्यातक द्वारा की जाएगी और उक्त अनुसूची के अंतर्गत मिलने वाला अधिकतम प्रतिअदायगी का लाभ कॉलम (4) और (6) में दर्शाये गए यथा मूल्य दर से ऐआरई-1 मूल्य के डेढ़ गुणा पर की गई संगणना से अधिक नहीं होगा।

(7) उक्त अनुसूची में कॉलम (4) और (5) में दर्शाये गए आंकड़े स्वीकार्य कुल प्रतिअदायगी (एक साथ रखे गए सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर संघटक) से संबंधित हैं और कॉलम (6) और (7) में दर्शाये गए आंकड़े सीमाशुल्क संघटक के तहत आने वाले स्वीकार्य प्रतिअदायगी से सम्बंधित हैं। कॉलमों (4) और (6) में अंतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के प्रतिअदायगी के संघटक से संबंधित है। यदि कॉलमों (4) और (6) में दर एक ही दर्शाई गई हो, तो इसका अर्थ यह होगा कि यह केवल सीमाशुल्क संघटक के संबंध में ही है और यह, चाहे निर्यातक ने केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सुविधा का लाभ उठाया हो या नहीं, उपलब्ध होगी।

(8) विशिष्ट दरों के अनुसार या यथामूल्य आधार पर उक्त अनुसूची में विभिन्न टैरिफ मदों के सामने विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दरों में, जब तक अन्यथा विशिष्टतया उपबंधित न की जाएं, प्रयुक्त पैकिंग सामग्री के लिए, यदि कोई हो, प्रतिअदायगी सम्मिलित है।

(9) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिअदायगी केवल तभी लागू होगी जब उक्त नियमों के नियम 11, 12 और 13 के अंतर्गत यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी के दावे के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं का यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें शिथिल न किया गया हो, समाधान हो गया हो।

(10) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दरें किसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्यात के संबंध में लागू नहीं होंगी, यदि ऐसी वस्तु अथवा उत्पाद का -

(क) विनिर्माण अंशतः या पूर्णतया सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के अधीन भण्डागार में किया गया हो;

(ख) निर्माण या निर्यात, संबद्ध विदेश व्यापार नीति की शुल्क छूट स्कीम के अधीन जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार अथवा शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार के अंतर्गत निर्यात संबंधी बाध्यता के निर्वहन में किया गया हो;

बशर्ते कि जहाँ ऐसा निर्यात अधिसूचना सं. 45/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 13, अगस्त, 2016 के अनुसार निर्यात दायित्व को पूरा करने में विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 4.04 क के अंतर्गत जारी विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र के एवज में किया हो, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दर इस प्रकार से लागू होगी मानो कि उक्त अनुसूची में -

(i) शीर्ष क और शीर्ष ख क्रमशः शीर्ष ग और शीर्ष घ है; और

(ii) सभी अध्यायों के नीचे, अध्याय 61 और 62 को छोड़कर, उक्त अनुसूची में टैरिफ मद के समक्ष कॉलम (4), (5), (6) और (7) की प्रविष्टि शून्य है और अध्याय 61 और 62 के नीचे दी गई यही प्रविष्टियाँ उस प्रकार है जैसा कि एतद संलग्न तालिका में विनिर्दिष्ट है।

(ग) संबद्ध विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अनुसार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी यूनिट द्वारा निर्माण या निर्यात किया गया हो;

(घ) मुक्त व्यापार क्षेत्रों अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित एककों में से किसी एकक द्वारा निर्माण या निर्यात किया गया हो;

(ड.) अधिसूचना सं.32/1997-सीमा शुल्क, दिनांक 01 अप्रैल, 1997 का लाभ लेते हुए उत्पादन अथवा निर्यात किया गया हो।

(11) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) और (5) में विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दरें तथा अधिकतम सीमाएं उस वस्तु अथवा उत्पाद के निर्यात पर लागू नहीं होंगी यदि वह वस्तु अथवा उत्पाद -

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 के अनुसार, ऐसी वस्तु अथवा उत्पाद के उत्पादन अथवा प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्रियों पर शुल्क छूट का लाभ लेते हुए उत्पादित अथवा निर्यातित हो;

(ख) उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19 के उपनियम (2) के अनुसार उत्पादित अथवा निर्यातित हो ।

(12) उक्त अनुसूची में प्रयुक्त "जब केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति का अभिप्राय है कि निर्यातकर्ता निम्नलिखित शर्तों का समाधान करेगा, अर्थात् :-

(क) निर्यातकर्ता घोषणा करेगा, और यदि आवश्यक हो तो, यथास्थिति सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त जैसा भी मामला हो, के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध करेगा कि निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आगत अथवा आगत सेवाओं के लिए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि माल, बंधपत्र या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट के लिए दावे के अधीन निर्यात किया गया हो तो उत्पादन के कारखाने के प्रभारी सीमाशुल्क अधीक्षक या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आगत अथवा आगत सेवाओं के लिए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सुविधा का उपयोग नहीं किया गया है:

बशर्ते कि हैंडलूम उत्पाद अथवा हस्तशिल्प (जिसमें पीतल की कलात्मक हस्तशिल्प वस्तुएं भी शामिल हैं) अथवा परिसाधित चमड़ा और अन्य निर्यात उत्पाद को, जिन्हें बिना किसी शर्त के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, के निर्यातों के मामले में केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सुविधा के लाभ न लेने के संबंध में प्रमाणपत्र देना आवश्यक नहीं होगा ।

(13) जब कभी भी मिश्रित वस्तु का निर्यात किया जाता है जिसके लिए उक्त अनुसूची में किसी विशेष दर की व्यवस्था नहीं की गई है, तो विभिन्न संघटक सामग्रियों पर लागू होने वाली प्रतिअदायगी की दरें ऐसी सामग्रियों की निवल मात्रा के अनुसार, इस प्रमाण हेतु निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली स्वतः घोषणा के आधार पर, मिश्रित वस्तु के लिए लागू की जा सकती है और संदेह की स्थिति में अथवा जहां कोई सूचना, घोषणाओं के विपरीत है, वहां उपयुक्त सीमाशुल्क का उपयुक्त अधिकारी ऐसी घोषणाओं का सत्यापन करेगा ।

(14) उक्त अनुसूची के अध्याय 42 में "चमड़े की वस्तु" शब्द से अभिप्राय ऐसी किसी वस्तु से होगा जिसमें (क) बाह्य दृष्टिगोचर सतह 60 प्रतिशत या उससे अधिक; अथवा (ख) एक साथ लिया गया बाह्य और आंतरिक सतह क्षेत्र 60% या उससे अधिक, शोल्डर स्ट्रैप्स अथवा हैंडल्स अथवा फर स्किन ट्रिम्मिंग्स, यदि कोई हो, को छोड़कर, चमड़े का हो, चाहे वह वस्तु चमड़े से बनी हो या किसी अन्य सामग्री से ।

(15) टेक्सटाइल सामग्री के संबंध में "रंजित" शब्द उक्त अनुसूची में जहां कहीं प्रयुक्त हो, के अंतर्गत रंजित या मुख्यतः बाडी में प्रिंट किए हुए अथवा रंगे हुए सूत या वस्तु सम्मिलित हैं ।

(16) सूती वस्त्रों और यार्न के संबंध में "रंजित" शब्द में "विरंजित अथवा मर्सराइज्ड अथवा छपा हुआ अथवा सम्मिश्रित" शामिल होंगे ।

(17) अध्याय 54 तथा 55 में टेक्सटाइल सामग्रियों के संबंध में "रंजित" शब्द में "छपा हुआ अथवा विरंजित" शामिल होंगे ।

(18) उक्त अनुसूची के अध्याय 60, 61, 62 और 63 में आने वाली टैरिफ मदों के संबंध में सूत और मानव निर्मित रेशे के मिश्रण का अर्थ है कि इसमें मानव निर्मित रेशे का अंश वजन के दृष्टिकोण से 15% से अधिक परन्तु 85% से कम होगा तथा ऊन और मानव निर्मित रेशे वाले मिश्रण का अर्थ है कि इसमें मानव निर्मित रेशे का अंश वजन के दृष्टिकोण से 15% से अधिक परन्तु 85% से कम होगा। सूत अथवा ऊन अथवा मानव निर्मित रेशे अथवा सिल्क के वस्त्र अथवा तैयार कपड़े का अर्थ है कि इसमें संबंधित रेशे का अंश वजन के दृष्टिकोण से 85% अथवा अधिक होगा ।

(19) उक्त अनुसूची के अध्याय 61 तथा 62 के संबंध में "शर्ट्स" शब्द में "हुड सहित शर्ट्स" शामिल होंगे ।

(20) उक्त अनुसूची के अध्याय 64 में शामिल टैरिफ मदों के संबंध में वयस्कों के लिए चमड़े के जूते, बूट या हॉफ बूट में निम्नलिखित आकार शामिल होंगे, अर्थात् :-

(क) फ्रेंच प्वाइंट अथवा पैरिस प्वाइंट अथवा कांटीनेंटल माप 33 तक;

(ख) इंग्लिश अथवा यू.के. वयस्क माप 1 और उससे अधिक; और

(ग) अमेरिकन अथवा यू.एस.ए. वयस्क माप 1 और उससे अधिक।

(21) उक्त अनुसूची में अध्याय 64 में शामिल टैरिफ मदों के संबंध में बच्चों के लिए चमड़े के जूते, बूट या हॉफ बूट में निम्नलिखित आकार शामिल होंगे, अर्थात् :-

- (क) फ्रेंच प्वाइंट अथवा पैरिस प्वाइंट अथवा कांटीनेंटल माप 33 तक;
- (ख) इंग्लिश अथवा यू.के. बच्चों के माप 13 तक; और
- (ग) अमेरिकन अथवा यू.एस.ए. बच्चों के माप 13 तक ।

(22) टैरिफ मद 711301, 711302 और 71401 के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी दरें भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सार्वजनिक नोटिस सं.1/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के जरिए प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तिका, 2015-2020 के पैरा 4.72 में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क हाऊस के जरिए एयरफ्रेट, डाक पार्सल अथवा प्राधिकृत कूरियर द्वारा निर्यातित माल पर ही, सोने अथवा चांदी की गुणवत्ता और सोने अथवा चांदी के आभूषण अथवा चाँदी की वस्तुओं में सोने अथवा चांदी के निवल अंश की मात्रा का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क मूल्यांकक अथवा अधीक्षक द्वारा जांच के बाद, लागू होंगी। प्राधिकृत कूरियर के माध्यम से किसी खेप का पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य बीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगा ।

(23) टैरिफ मद 711301, 711302 और 711401 के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी दरें, भारत सरकार की संबद्ध विदेश व्यापार नीति की किसी ऐसी स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरी करने में उत्पादित अथवा निर्यातित माल के लिए लागू नहीं होंगी जिसमें सोने अथवा चांदी के स्थानीय स्रोतों से शुल्क मुक्त आयात/पुनःप्राप्ति या प्राप्ति का प्रावधान हो ।

(24) उपर्युक्त पैराग्राफ (7) में निहित किसी भी बात के बावजूद, उक्त अनुसूची में टैरिफ मद 711301, 711302 और 711401 के समक्ष विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दर उन वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जिनका विनिर्माण या निर्यात इनके विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आगत अथवा आगत सेवा के लिए सेनवेट सुविधा लेकर किया गया हो या उनके विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्री पर केंद्रिय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 के अनुसार शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की गई हो, या उनका विनिर्माण या निर्यात केंद्रिय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19 के उप-नियम (2) के अनुसार किया गया हो, और उक्त टैरिफ मद के एवज में प्रतिअदायगी की दर का दावा करने वाले निर्यातकर्ता को निर्यात के समय समुचित घोषणा करनी पड़ेगी ।

(25) उक्त अनुसूची के अध्याय 87 के "वाहनो" में पूर्णतः बनी इकाइयों अथवा पूर्णतः नॉक डाउन इकाइयां अथवा अर्ध नॉक डाउन इकाइयां शामिल होंगी ।

2. शुल्क प्रतिअदायगी के लिए सभी दावे यहाँ अधिसूचित प्रतिअदायगी की दर से, उक्त अनुसूची के कॉलम (1) और (2) में दर्शायी गई क्रमशः टैरिफ मदों और माल के विवरण के संदर्भ में ही दायर किए जाएंगे । जहां, उक्त अनुसूची में निर्यात उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिअदायगी की दर शून्य विनिर्दिष्ट है अथवा लागू नहीं होती है, वहां व्यक्तिगत विनिर्माता अथवा निर्यातकर्ता द्वारा उक्त नियमावली के अनुसार आवेदन किए जाने पर प्रतिअदायगी दर नियत की जा सकेगी। जहाँ प्रतिअदायगी का दावा उपर्युक्त अनुसूची की टैरिफ मदों के सन्दर्भ में भरा गया है और वह उसमें विनिर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दर के लिए है, तो उक्त नियमावली के नियम (7) के उपनियम (1) के अंतर्गत संदर्भित आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा ।

3. अनन्तिम प्रति अदायगी राशि के संबंध में उक्त नियमावली के नियम 7 के उप-नियम (3) में संदर्भित धनराशि, जिसका विनिर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकता है, सीमाशुल्क के उस घटक के समतुल्य होगी, जैसा कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की तदनुसूची टैरिफ मदों के संबंध में, यदि लागू होती है, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) और (7) में प्रति अदायगी दर और प्रतिअदायगी सीमा में प्रावधान किया गया है और इसका इस प्रकार निर्धारण किया जाएगा जैसे कि यह उक्त अनुसूची के अंतर्गत ऐसी दर और सीमा के संदर्भ में दायर की गई शुल्क प्रतिअदायगी का दावा हो।

4. यह अधिसूचना 15 नवम्बर 2016 से लागू होगी ।